तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रामतन बनाम जयराम चौधरी** **671/12 (आरसीएमएस नं. 2012/00159)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.03.19	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपस्थित। प्रकरण में आवाज दिलवाई अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही, तत्पश्चात् प्रकरण में पुनः रूक–रूककर कई बार आवाजें दिलवाई गई किन्तु अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण वर्ष 2012 से विचाराधीन चल रहा है तथा दिनांक 22.01.2019 को अधिवक्ता अपीलान्ट को 200/–दो सौ रूपये की कोस्ट पर बहस हेतु अंतिम अवसर दिया गया है उसके उपरान्त भी अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित नही है तथा अपीलान्ट की ओर से अन्य कोई भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही है एवं अपीलान्ट की ओर से उक्त कोस्ट की राशि राजकोष में जमा भी नही कराई गई है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील को खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावे तथा पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (के0सी0वर्मा) संभागीय आयुक्त, जयपुर।	